भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या990

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

ऑनर किलिंग के मामलों में की गई कार्रवाई

990. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऑनर किलिंग के मामलों की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई; और
(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए/किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): जी, हां।

(ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मासिक आधार पर ऑनर किलिंग संबंधी आंकड़ों का संग्रहण जनवरी, 2014 से आरंभ हुआ है। वर्ष 2014 के दौरान, ऑनर किलिंग के अंतर्गत कुल 18 मामले दर्ज किए गए थे। इसलिए पिछले तीन वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2014 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): भारत के संविधान के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के कारण, प्रत्येक मामले में की गई कारर्रवाई की कोई केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ): "वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को रोकने (सम्मान और परम्परा के नाम पर)" के संबंध में विधि आयोग की 242वीं रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने "वैवाहिक संबंध की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का निषेध विधेयक" नामक विधेयक की अंतिम रुपरेखा तैयार करने के लिए राज्य-स्तरीय परामर्श आरंभ किए हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को महिलाओं के प्रति अपराध के संबंध में एक विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया था, जिसमें राज्यों को महिलाओं के प्रति अपराध की समस्या से निपटने के लिए और अपनी कानून और व्यवस्था मशीनरी की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने ऐसी हिंसा के लिए इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त उपाय करने के निदेश दिए गए हैं। परामर्शी-पत्र के पैरा XXX (30) में विशेष रुप से 'तथाकथित ऑनर किलिंग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन को नियंत्रित करने, कुछ उत्तरी राज्यों ने जबरन शादी और अन्य प्रकार की हिंसा को रोकने' के लिए विशेष कदम उठाने की सलाह दी गई है।

*****

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 990

वर्ष 2014 के दौरान ऑनर किलिंग की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार घटनाएं (अनंतिम)

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज मामले	माह तक के आंकड़े
1	आन्ध्र प्रदेश	2	दिसम्बर
2	अरुणाचल प्रदेश	0	दिसम्बर
3	असम	0	दिसम्बर
4	बिहार	0	दिसम्बर
5	छत्तीसगढ़	0	अक्तूबर
6	गोवा	0	दिसम्बर
7	गुजरात	1	दिसम्बर
8	हरियाणा	1	नवम्बर
9	हिमाचल प्रदेश	0	दिसम्बर
10	जम्मू और कश्मीर	0	दिसम्बर
11	झारखंड	0	सितम्बर
12	कर्नाटक	0	दिसम्बर
13	केरल	0	नवम्बर
14	मध्य प्रदेश	0	दिसम्बर
15	महाराष्ट्र	1	दिसम्बर
16	मणिपुर	0	अक्तूबर
17	मेघालय	0	दिसम्बर
18	मिजोरम	0	दिसम्बर
19	नागालैंड	0	नवम्बर
20	ओडिशा	0	अक्तूबर
21	पंजाब	3	दिसम्बर
22	राजस्थान	0	दिसम्बर
23	सिक्किम	0	नवम्बर
24	तमिलनाडु	1	दिसम्बर
25	तेलंगाना	0	दिसम्बर
26	त्रिपुरा	0	अक्तूबर
27	उत्तरप्रदेश	9	अक्तूबर
28	उत्तराखंड	0	दिसम्बर
29	पश्चिम बंगाल	0	एन.आर.
	कुल (राज्य)	18	
30	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	दिसम्बर
31	चंडीगढ़	0	दिसम्बर
32	दादरा और नगर हवेली	0	दिसम्बर
33	दमण और दीव	0	दिसम्बर
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	नवम्बर
35	लक्षद्वीप	0	दिसम्बर
36	पुदुचेरी	0	दिसम्बर
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	
	कुल (अखिल भारत)	18	

स्रोतः अपराध संबंधी मासिक आंकड़े

टिप्पणी: एनआर का तात्पर्य आंकड़े प्राप्त न होने से है।

आंकड़े अंनतिम हैं।

आंकड़े अनंतिम हैं।

एन.ए. का तात्पर्य आंकड़े उपलब्ध नहीं।

*** सूचना में तेलंगाना के आंकड़े भी शामिल हैं।**